



इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय  
Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya  
शहीद गुंडाधूर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र,  
Shaheed Gundadhoor College of Agriculture & Research Station  
कुम्हरावण्ड, जगदलपुर – 494001 Kumhrawand, Jagdalpur – 494001 (C.G.)



Ph. (O) - 07782 - 229150, 229360 (R) 229343 Fax - 07782 - 229360 Email - zars\_igau@rediffmail.com

No./SGCARS/AICRP-CASHEW/2017-18/2894

जगदलपुर, दिनांक: 23/10/2017

आदेश

चयन समिति की अनुशंसा एवं संचालक, अनुसंधान सेवायें के अनुमोदन उपरान्त (अनुमोदित पत्र क्र. 2013, दिनांक 5/10/2017) निम्नलिखित अभ्यर्थी को तकनीकी सहायक के पद पर संविदा नियुक्ति के माध्यम से निश्चित वेतन (रु. 20342/-प्रतिमाह) पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष अथवा परियोजना अवधि अथवा पद पर नियमित नियुक्ति (चयन/पदोन्नति द्वारा पदस्थापना) जो भी पहले हो तक उनके नाम के सम्मुख दर्शित (कालम नं. 04) पदस्थापना स्थल पर, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।


क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	श्रेणी	पदस्थापना स्थल
(01)	(02)	(03)	(04)
01	श्री शुभेन्दु राय पिता:- श्री सुशील राय. पता:- महावीर नगर धरमपुरा नं.-1, जगदलपुर, जिला- बस्तर (छ.ग.) 494001	सामान्य	अखिल भारतीय समन्वित काजू अनुसंधान परियोजना, श.गु. कृषि महां. एवं अनु. केन्द्र, जगदलपुर बस्तर (छ.ग.) 494001

संविदा नियुक्ति की शर्तें :-

1. अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर कर्तव्य पर मय प्रमाण-पत्र (शैक्षणिक योग्यता, जाति एवं मूल निवास प्रमाण-पत्र) के साथ उपस्थित होना होगा अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में संलग्न किये गये कोई भी प्रमाण-पत्र/दस्तावेज तथा दी गई जानकारी भविष्य में यदि असत्य पायी जाती है, तो नियुक्ति बिना कारण बताये निरस्त कर दी जावेगी।
3. उभयपक्षों द्वारा किसी भी समय एक माह की सूचना देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन-भत्ता भुगतान/जमा करना होगा।
4. अभ्यर्थी को कर्तव्य पर उपस्थिति के समय इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के चिकित्सा अधिकारी अथवा जिला सिविल सर्जन से शारीरिक क्षमता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक क्षमता प्रमाण-पत्र में शारीरिक रूप से अयोग्य पाये जाने पर संबंधित की सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
5. आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी से जाति के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र भराया जावेगा। संबंधित अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र गलत अथवा कपटपूर्वक अभिप्राप्त करने की बात प्रमाणित होने पर नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जावेगी एवं संबंधित को प्रदत्त लाभ व सुविधाओं पर व्यय की गई राशि वसूल की जावेगी तथा अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रवृत्त कानूनों के तहत कार्यवाही की जावेगी।

M.T

6. संबंधि का पुलिस अधीक्षक कार्यालय से चरित्र सत्यापन कराया जावेगा। चरित्र सत्यापन में पुलिस प्रशासन द्वारा संबंधित के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टीप पाये जाने पर नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा।
7. अभ्यर्थी को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ लेनी होगी।
8. अभ्यर्थी को कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
9. संविदा नियुक्ति प्रथम 01 वर्ष अथवा परियोजना अवधि अथवा पद पर नियमित नियुक्ति (चयन/पदोन्नति द्वारा पदस्थापना) जो भी पहले हो के लिए की जावेगी। पद नियमित रूप से न भरने की स्थिति में विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से संविदा नियुक्ति 01 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए पृथक से नियुक्ति प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी स्थिति संविदा नियुक्ति 02 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जावेगी।
10. संविदा पर नियुक्ति अभ्यर्थी नियमितकरण के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा ना ही उस पद के विरुद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता/छूट दी जावेगी।
11. संविदा पर निश्चित वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। किन्तु संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उस पद हेतु निर्धारित टी.ए./डी.ए. प्राप्त होगा। यदि राज्य शासन के मण्डल निगम/आयोग/विश्वविद्यालय/प्राधिकरण आदि से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है तो उन्हें छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार वेतन का भुगतान किया जावेगा। संविदा पर कार्यरत कर्मचारी का वेतन परियोजना/कृषि विज्ञान केन्द्र में रिक्त नियमित पद/तदर्थ पद के विरुद्ध आहरित होगा।


  
23.10.2017  
मुख्य अन्वेषक

अ.भा. समन्वित काजू अनु. परियोजना

No./SGCARS/ AICRP-CASHEW 2017-18/ 2895-2905 जगदलपुर, दिनांक 23/10/2017

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

01. कुलपति महोदय के निज सहायक, इ.गॉ.कृ.वि.वि. रायपुर (छ.ग.) 492012
02. कुल सचिव, इ. गॉ. कृ. वि.वि. रायपुर (छ.ग.) 492012
03. लेखा नियंत्रक इ. गॉ. कृ. वि. वि., रायपुर (छ.ग.) 492012
04. परियोजना समन्वयक अखिल भारतीय समन्वित काजू अनुसंधान परियोजना, ICAR-काजू अनुसंधान निदेशालय, पुत्तुर - 574202, कर्नाटक
05. संचालक, अनुसंधान सेवाये, इ. गॉ. कृ. वि.वि., रायपुर (छ.ग.)
06. अधिष्ठाता, श. गु. कृ. महा. एवं अ. केन्द्र, जगदलपुर, बस्तर (छ.ग.)
07. परियोजना प्रभारी अ.भा. समन्वित काजू अनु. परियोजना जगदलपुर, बस्तर (छ.ग.) 494001
08. स्थापना शाखा श. गु. कृ. महा. एवं अनु. केन्द्र, जगदलपुर
09. श्री शुभेन्दु राय पिता:- श्री सुशील राय, पता:- महावीर नगर धरमपुरा नं.-1, जगदलपुर, जिला- बस्तर (छ.ग.) 494001
10. लेखा शाखा श. गु. कृ. महा. एवं अनु. केन्द्र, जगदलपुर, बस्तर (छ.ग.) 494001
11. व्यक्तिगत नस्ती

  
23.10.2017  
मुख्य अन्वेषक

अ.भा. समन्वित काजू अनु. परियोजना

ofc